**विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तरः–**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 16(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट संस्थानों को मान्यता देने की नियमावली में परिवर्तन करके नयी नियमावली बनायीं जा रही थी? | जी हाँ।<br>माध्यमिक शिक्षा परिषद के सुसंगत विनियमों में संशोधन किया गया है। |
| (ख) यदि हॉ, तो क्या इसके लिए नई नियमावली में परिवर्तन/संशोधन के लिये दिनांक 28 अगस्त, 2022 तक ई–मेल के माध्यम से संशोधन/परिवर्तन के सुझाव मांगे गए थें? | जी हाँ। |
| (ग) क्या दिनांक 28 अगस्त, 2022 तक bsslucknow1@gmail.com से नई नियमावली में परिवर्तन/संशोधन के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे? | जी हाँ। |
| (घ) यदि हॉ, तो प्राप्त सुझाव क्या थें? | स्टेक होल्डर्स से प्राप्त प्रमुख सुझाव निम्नवत् थेंः–<br>1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की भूमि के मानक पूर्ववत रखे जायें।<br>2. प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष की धनराशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे पूर्ववत रखा जाय।<br>3. नवीनीकरण की व्यवस्था न रखी जाय।<br>4. मान्यता की शर्तों में बदलाव न किया जाय।<br>5. मान्यता आवेदन शुल्क पूर्ववत रखा जाय।<br>6. मान्यता के बैनामें के स्थान पर रेन्ट, एग्रीमेन्ट, लीज डीड पर मान्यता दी जाय।<br>7. पूर्व आवेदित मान्यताओं पर नयी नियमावली लागू न की जाय। |
| (ङ) प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कोई कार्यवाही की गई? | जी हाँ। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का त्रिसदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण कर निस्तारण किया गया। |
| (च) कुल कितने परिवर्तन/संशोधन प्राप्त हुए तथा इन परिवर्तन/सुझावों के निस्तारण करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कोई बैठक हुई? | कुल 639 सुझाव/आपत्तियाँ प्राप्त हुई, जिनका निस्तारण बैठक करके किया गया। |
| (छ) यदि बैठक हुई है तो उन सुझावों का निस्तारण करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? | प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण हेतु परिषद द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया, समिति का कार्यवृत्त संलग्न हैं। |

**गुलाब देवी**
**माध्यमिक शिक्षा मंत्री।**

# कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

शासन के आदेश संख्या: 2002/15--7--2022--1(29)/2014 दिनांक: 27 सितम्बर, 2022 के अनुपालन में स्टेक होल्डर्स से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु अपर सचिव (पा0पु0रा0) के अध्यक्षता में दिनांक: 31.08.2022 को गठित समिति की दिनांक: 08 अक्टूबर, 2022 को बैठक हुई। समिति द्वारा अपना अभिमत निम्नवत् हैं :—

| क्रम | प्राप्त सुझाव/आपत्ति | सुझाव/आपत्तियों की संख्या | वर्तमान व्यवस्था | परिषद द्वारा प्रस्तावित नवीन व्यवस्था | समिति का अभिमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की भूमि के मानक पूर्ववत् रखे जाये। | 161 | वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खोलने हेतु न्यूनतम् 2000 वर्गमीटर तथा शहरी क्षेत्र हेतु न्यूनतम् 650 वर्गमीटर भूमि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 648 वर्गमीटर तथा शहरी क्षेत्र में 162 वर्गमीटर भूमि खेल के मैदान हेतु निर्धारित है। | नवीन ड्राफ्ट में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खोलने हेतु न्यूनतम् 6000 वर्गमीटर, जिसमें 2000 वर्गमीटर खेल के मैदान हेतु भूमि तथा शहरी क्षेत्र हेतु न्यूनतम् 3000 वर्गमीटर, जिसमें 1000 वर्गमीटर खेल के मैदान हेतु भूमि का होना प्रस्तावित किया गया है। | विद्यार्थियों की प्रतिभा के समुचित विकास एवं अध्ययन के साथ–साथ विभिन्न खेलों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भूमि के मानक में वृद्धि किया जाना पूर्णतः औचित्यपूर्ण है क्योकि शहरी क्षेत्र के लिये 650 वर्गमीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 2000 वर्ग मीटर भूमि में विद्यालय का निर्माण एवं विभिन्न खेलों जैसे–बालीवाल, फुटबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन आदि के लियें पृथक अलग से क्रीडास्थल की आवश्यकता होती है, जो पहले की भूमि मानक के अनुसार अपर्याप्त थी। अतः इसके लिये भूमि का विस्तार किया जाना आवश्यक है। |
| 2 | प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष की धनराशि में अत्यधिक | 116 | वर्तमान में हाईस्कूल परीक्षा हेतु प्राभूत कोष की धनराशि 15000/– रूपये एवं सुरक्षित कोष की धनराशि 3000/– रूपये निर्धारित है। इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु प्राभूत | नवीन ड्राफ्ट में प्राभूत कोष की धनराशि 500000/– रूपये एवं सुरक्षित कोष की धनराशि 150000/– रूपये निर्धारित है, जो केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना प्रस्तावित किया | प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष विद्यालय के लिये ही उपयोग किये जाते है। अतः विद्यालय के विकास, सुरक्षा तथा संचालन की दृष्टि से प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष की |

8.10.22 08.10.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वृद्धि हैं, इसे पूर्ववत् रखा जाए। | | कोष की धनराशि रूपये 5000/– एवं सुरक्षित कोष की धनराशि रूपये 2000/– निर्धारित है जो केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य है। | गया है। | धनराशि बढ़ायी गयी है, जिसका उपयोग समय–समय पर विद्यालय के हितो के लिये किया जा सकता है, जो विद्यालय के समुचित संचालन की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है। |
| 3 | नवीनीकरण की व्यवस्था न रखी जाए। | 89 | वर्तमान में परिषद विनियमों में विद्यालयों को सदैव के लिये मान्यता दिये जाने की व्यवस्था है। | नवीन ड्राफ्ट में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के लिये मान्यता सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिये प्रदान किये जाने एवं निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद द्वारा पाँच वर्षो के लिये नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। | मान्यता की शर्तो में निरन्तरता बनाये रखने एवं सम–सामायिक शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से नवीनीकरण का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है। |
| 4 | मान्यता की शर्तों में बदलाव न किया जाए | 82 | वर्तमान में परिषद विनियमों के अध्याय–सात में संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी मानक/शर्तो का प्रावधान है। | नवीन ड्राफ्ट में परिषद विनियमों के अध्याय–सात में संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी मानक/शर्तो में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। | शिक्षा की गतिविधयों में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है, अतः विद्यालयों में समय सापेक्ष शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु मान्यता के मानक/शर्तों में संशोधन औचित्यपूर्ण है। |
| 5 | मान्यता आवेदन शुल्क पूर्ववत् रखा जाए | 53 | वर्तमान में मान्यता हेतु आवेदन शुल्क की राशि निम्नवत् है:–<br>1. प्रथम बार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये रूपये 30,000/–<br>2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग के लिये रूपये 20,000/–<br>3. इण्टरमीडिएट परीक्षा के वनटाइम मान्यता के लिये रूपये 30,000/– प्रतिवर्ग<br>4. इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता | नवीन ड्राफ्ट में मान्यता हेतु आवेदन शुल्क की धनराशि निम्नवत् है:–<br>1. हाईस्कूल परीक्षा की मान्यता रूपये 50,000/–<br>2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी वर्ग (सभी विषय सहित) की मान्यता के लिये रूपये 25,000/– प्रतिवर्ग<br>3. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये प्रथम बार (एक या एक से अधिक वर्ग) किन्तु समस्त वर्ग नहीं रूपये 30,000/– प्रतिवर्ग<br>4. इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग की मान्यता के लिये रूपये 35,000/– प्रति वर्ग। | वर्तमान में संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। मान्यता की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने, अपग्रेड करने एवं वेबसाइट के संचालन में प्रयुक्त होने वाले सर्वर को निरन्तर अपग्रेड किया जाता है। अतः वेबसाइट के निर्बाध संचालन एवं सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने तथा उच्च क्षमता वाले सर्वर के प्रयोग में लाने हेतु मान्यता आवेदन शुल्क में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः आपत्ति औचित्यपूर्ण नही |

8.10.22

8/10/22

08.10.22

Scanned with OKEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | के लिये न्यूनतम् रूपये 10,000/– के अधीन रखते हुये रूपये 5,000/– प्रति विषय<br>5. विलम्ब शुल्क रूपये 20,000/– | 5. विषयो के चयन में स्वतन्त्रता एवं लचीलापन हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये वर्ग अथवा वर्ग से इतर किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त न्यूनतम् रूपये 10,000/– के अधीन रखते हुये 5,000/– रूपये प्रति विषय<br>6. विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/–<br>7. मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क रूपये 30,000/– | है। |
| 6 | मान्यता के बैनामे के स्थान पर रेन्ट एग्रीमेन्ट/ लीज डीड परदी जाए। | 53 | वर्तमान में परिषद विनियमों में रेन्ट एग्रीमेन्ट/लीज डीड (Lease Deed) पर मान्यता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। | नवीन ड्राफ्ट में लीज डीड (Lease Deed) पर संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी शर्त को सम्मिलित किया गया है। | प्रस्तावित संशोधन में लीज डीड (Lease Deed) के आधार पर मान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जो हितधारकों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप है। |
| 7 | पूर्व आवेदित मान्यताओं पर नई नियमावली लागू न करें। | 08 | वर्तमान में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय परिषद विनियमों के अध्याय–सात के अन्तर्गत बनाये गये सुसंगत नियमों के अनुसार संचालित है। | नवीन ड्राफ्ट में प्रस्तावित संशोधन पुराने मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे। | मान्यता हेतु प्रस्तावित संशोधन नवीन संस्थाओं पर लागू होंगे इसे पूर्वगामी प्रभाव (Retrospective effect) से लागू किये जाने की कोई प्रस्तावना नहीं है। |

समिति ने निश्चय किया कि समिति द्वारा दिये गये अभिमत से शासन को अवगत करा दिया जाय।

8.10.22
उप सचिव (शोध)

8/10/22
उप सचिव (प्रशासन)

08.10.22
अपर सचिव (पा0पु0रा0)

8.10.22

Scanned with OKEN